3135. *[Transferred to the 20th Decem ber,* 1991.]

Complaint of black marketing in handloom

3136. KUMARI SYEEDA KHATUN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whither it is a fact that the NOCF has been entrusted with the task of distri bution of Handloom meat for the vulner able sectir a of the society;

(b) whether it is also a fact that Go vernment provide subsidy of about Rs. 4,000 per bale on the Handloom;

(c) whether Government have received serious complaints of blackmarketing of Handloom between 1988-90 with the connivance of officers of NOCF, Kanpur, Uttar Pradesh Handloom Corporation and the transpotes;

(d) whether the stocks found way into the hands of unscrupulous persons thereby cheating ' Jovenranent of several crores of rupees;

(e) if so, whethe Government had en-quired into the matter; and

(f) if no. the outcome thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) National Consumers Cooperative Federation of India is one of the approved distribution agencies in the matter of distribution of Janata Cloth produced in the handloom sector.

(b) Government of India subsidises the production of Janta Cloth at the rate of Rs. *3. 40* per Square metre.

(c) to (f) Yes Sir. A complaint was received alleging malpractices in the scale of Janata Cloth involving some employees of NCCF. This aspect is beino investigated by NCCF and a final report is awaited.

1981 की जनगणना के आधार पर कोटे का आवंटन

3137. श्री राघवजी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों को चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं और खाद्य तेलों के आवंटन का आधार 1981 की जनगणना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मापदण्ड में परिवर्तन किया जाएगा और क्या 1991 की जनगणना के आंकड़ों को इस प्रकार के आवंटन का आधार बनाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). जी, नहीं । खाद्यान्नों (चावल व गेहूं) का आवंटन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों की मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का परस्पर आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है । आयातित खाद्य तेल का आवंटन केन्द्रीय सरकार के पास मात्रा उपलब्ध होने पर किया जाता है ।

इस समय मिट्टी के तेल का आवंटन कमोबेश गत वर्ष के इतने ही महीने के स्तर पर बनाये रखा गया है ।

लेवी चीनी का आवंटन आमतौर पर 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान के आधार पर किया जाता है । सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के आवंटनों में अगस्त से दिसम्बर, 1991 के महीनों के लिए 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की गई थी ।